बिहार सरकार
सहकारिता विभाग

पत्रांक ..../पटना,दिनांक..............................
05/साख–बि॰रा॰फ॰स॰योजना–81/2024 सह॰

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2026–27 में बिहार राज्य फसल सहायता योजनान्तर्गत खरीफ 2026 मौसम के लाभार्थी किसानों को अनुमान्य सहायता राशि के भुगतान हेतु राज्य योजना से रू0 10,00,00,000 /–(दस करोड़) मात्र के निकासी एवं व्यय की स्वीकृति के संबंध में।**

आदेश :– स्वीकृत।

महाशय,

प्राकृतिक आपदाओं यथा–बाढ़, सुखाड़, तुषारापात इत्यादि से फसलों के उत्पादन में ह्रास की स्थिति में किसानों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराकर उन्हें अगली फसल के उत्पादन हेतु प्रोत्साहित करने, प्रतिकूल परिस्थितियों में किसानों की आय में निरंतरता बनाये रखने तथा किसानों की आय में वृद्धि सुनिश्चित करते हुए राज्य में कृषि को लाभप्रद व्यवसाय के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से विभागीय संकल्प संख्या–4989 दिनांक–08.06.2018 के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा बिहार राज्य फसल सहायता योजना की स्वीकृति खरीफ 2018 मौसम से संसूचित है।

वित्तीय वर्ष **2026–27** में अवर सचिव, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना के **गै.स.प्रे.संख्या–678 दिनांक 17.06.2026** के आलोक में **खरीफ 2026** मौसम के लाभार्थी किसानों को अनुमान्य सहायता राशि के भुगतान हेतु राज्य योजना से **रू॰ 10,00,00,000 /–(दस करोड़)** मात्र के निकासी एवं व्यय की स्वीकृति संसूचित की जाती है।

2. इस राशि की निकासी हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यालय, निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना के लिए प्राधिकृत निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होगें। उपर्युक्त राशि की स्वीकृति इस शर्त के साथ दी जाती है कि राज्य सरकार के CFMS व्यवस्था के तहत उपर्युक्त स्वीकृत राशि की निकासी कर इसे एकमुश्त बिहार राज्य सहकारी बैंक लि॰, पटना को NEFT/RTGS/E-PAYMENT के माध्यम से खाता संख्या–100135002100003, खाता का नाम–फसल सहायता योजना (GoB)] IFSC Code-YESB0BSCB01 (YESB zero BSCB zero one) को उपलब्ध कराया जाएगा। तत्पश्चात् बिहार स्टेट को–ऑपरेटिव बैंक लि0, पटना द्वारा विभागीय सक्षम पदाधिकारी के हस्ताक्षरोपरान्त निर्गत एडभाईस पत्र के आलोक में विभागीय संकल्प संख्या–962 दिनांक–26.02.2019 में निहित निदेशानुसार लाभान्वितों को भुगतान DBT के माध्यम से आधार लिंक्ड खाते में किया जायेगा।

3. उपर्युक्त कंडिका–02 में वर्णित निदेश के आलोक में बिहार राज्य फसल सहायता योजनान्तर्गत **खरीफ 2026** मौसम के लाभार्थी किसानों को अनुमान्य सहायता राशि भुगतान करने हेतु बिहार राज्य सहकारी बैंक लि॰, पटना को **रू॰ 10,00,00,000 /–(दस करोड़)** मात्र विमुक्त की जा रही है।

उपर्युक्त स्वीकृत राशि वित्तीय वर्ष 2026–27 में निम्नलिखित बजट शीर्ष के अन्तर्गत निम्नरूपेण विकलनीय होगी :–

<u>सहायता अनुदान</u>

(राशि रुपये में)

आयोजना व्यय (विस्तृत) बजट शीर्ष	वर्त्तमान उपबंध	स्वीकृत राशि
(क) मुख्य शीर्ष–2401–फसल कृषि–कर्म उपमुख्य शीर्ष–00 लधुशीर्ष–110–फसल बीमा मांग संख्या–09 उपशीर्ष–0112–बिहार राज्य फसल सहायता योजना विपत्र कोड–09–2401001100112 विस्तृत शीर्ष–31–सहायता अनुदान विषय शीर्ष–06–सहायक अनुदान–गैर वेतन	10,00,00,000	10,00,00,000

आयोजना व्यय (विस्तृत) बजट शीर्ष	वर्त्तमान उपबंध	स्वीकृत राशि
(ख) मुख्य शीर्ष–2401–फसल कृषि–कर्म उपमुख्य शीर्ष–00 लधुशीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना मांग संख्या–09 उपशीर्ष–0151–बिहार राज्य फसल सहायता योजना विपत्र कोड–09–2401007890151 विस्तृत शीर्ष–31–सहायता अनुदान विषय शीर्ष–06–सहायक अनुदान–गैर वेतन	NIL	NIL

आयोजना व्यय (विस्तृत) बजट शीर्ष	वर्त्तमान उपबंध	स्वीकृत राशि
(ग) मुख्य शीर्ष–2401–फसल कृषि–कर्म उपमुख्य शीर्ष–00 लधुशीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उप योजना मांग संख्या–09 उपशीर्ष–0173–बिहार राज्य फसल सहायता योजना विपत्र कोड–09–2401007960173 विस्तृत शीर्ष–31–सहायता अनुदान विषय शीर्ष–06–सहायक अनुदान–गैर वेतन	NIL	NIL

4. अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना द्वारा अधिसूचित फसलों में से राज्य स्तरीय समन्वय समिति (SLCC) द्वारा चयनित फसलों तथा अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा संपादित फसल कटनी प्रयोग हेतु अधिसूचित क्षेत्र को इस योजना के तहत् आच्छादित क्षेत्र माना गया है। इस योजना में राज्य सरकार द्वारा थ्रेशहोल्ड उपज दर की तुलना में वास्तविक उपज दर में 20 प्रतिशत तक ह्रास एवं 20 प्रतिशत से ज्यादा ह्रास की स्थिति में क्रमशः 7,500.00 रुपया एवं 10,000.00 रुपया प्रति हेक्टेयर की दर से अधिकतम 02 हेक्टेयर तक सहायता राशि अनुमान्य है।

5. योजना के दिशा–निर्देश के अनुरूप अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना द्वारा संपादित फसल कटनी प्रयोगों के फलाफल के आधार पर योग्य ग्राम पंचायतों के निबंधित किसानों के ऑनलाईन आवेदन में प्रविष्ट आंकड़ों का क्षेत्रीय सत्यापन/जाँच प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा कार्यभारित पंचायत प्रभारी पदाधिकारी द्वारा कराने के उपरान्त उनके द्वारा ऑनलाईन व्यवस्था में प्रतिवेदित मंतव्य के आधार पर PMU द्वारा सत्यापित करने एवं NIC द्वारा किये गए आधार सत्यापन के उपरान्त लाभार्थी किसानों के भुगतान हेतु System generated Advice निर्गत किया जाएगा। उक्त एडभाईस पर विभागीय सक्षम पदाधिकारी के हस्ताक्षरोपरान्त बिहार राज्य सहकारी बैंक लि०, पटना के माध्यम से लाभान्वित किसानों को DBT द्वारा अनुमान्य सहायता राशि का भुगतान सुनिश्चित किया जायेगा।

6. स्वीकृति राशि का उपयोग बिहार राज्य फसल सहायता योजना के तहत् **खरीफ 2026** मौसम के लाभार्थी किसानों के अनुमान्य सहायता राशि के भुगतान के लिए किया जाएगा। शेष बची हुई राशि का उपयोग योजना के अन्य मौसमों के लाभार्थी किसानों को सहायता राशि के भुगतान में किया जाएगा। साथ ही, बिहार राज्य सहकारी बैंक द्वारा विभाग को यह प्रमाण–पत्र देना होगा कि सहायता राशि लाभान्वित किसानों के खाते में ही हस्तांतरित कर दिया गया है।

7. इस योजना के कार्यान्वयन के क्रम में क्षेत्रीय कर्मियों द्वारा की गई जाँच में शुद्धता सुनिश्चित करना संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी की जिम्मेदारी होगी। जिला स्तरीय समन्वय समिति समुचित अनुश्रवण सुनिश्चित करेगी।

8. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 7355 (बि), दिनांक– 05.10.2007 के आलोक में उपलब्ध आवंटन से, स्वीकृत राशि का विपत्र तैयार कर सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को पारितार्थ प्रस्तुत करेंगे तथा राशि की निकासी Grants-in-Aid Bill के माध्यम से की जायेगी। इसके लिए महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

9. वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्र संख्या 2870 दिनांक 19.04.2021 के क्रम संख्या 17 में वर्णित प्रावधानों के आलोक में राशि की निकासी एवं व्यय किया जायेगा।

10. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यालय, निबंधक सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना उपर्युक्त राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र 42 ए॰ में निकासी के 18 माह के अन्दर बिहार राज्य सहकारी बैंक लि॰, पटना से प्राप्त कर महालेखाकार, बिहार, पटना को भेजेंगे।

11. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, वित्त विभाग के पत्रांक–4988/वि0(2) दिनांक–16.02.2013 के आलोक में अंकित तथ्यों का अनुपालन करेंगें। साथ ही राशि की निकासी एवं व्यय करने में बिहार कोषागार संहिता तथा बिहार वित्तीय नियमावली के सुसंगत प्रावधानों एवं वित्त विभाग, बिहार, पटना द्वारा समय–समय पर निर्गत परिपत्र/अद्यतन अनुदेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

12. इस राशि के अंकेक्षण का अधिकार भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को होगा तथा स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

13. कार्यालय निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना के संचिका संख्या–E 100775 नि॰फ॰–12/2/2020–प्रशाखा 09–RCS में संबंधित सभी अभिलेख/कागजात एवं दिशा–निर्देश संधारित है।

14. यह योजना राज्य मंत्रिपरिषद् द्वारा स्वीकृत है।

15. इस स्वीकृत्यादेश में आंतरिक वित्तीय सलाहकार, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना की सहमति संचिका संख्या–05/साख–बि॰रा॰फ॰स॰योजना–81/2024 सह॰ के पृष्ठ संख्या–............../टि० पर दिनांक–.......................... को प्राप्त है।

16. इसमें सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन संचिका संख्या–05/साख–बि॰रा॰फ॰स॰योजना–81/2024 सह॰ के पृष्ठ संख्या–............./टि० पर दिनांक–......................... को प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह॰/–
(मो॰ अब्दुल रब खाँ)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक ....191........../पटना, दिनांक 25/06/26
05/साख–बि॰रा॰फ॰स॰योजना–81/2024 सह॰

प्रतिलिपिः– **निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।**

1. कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को मुहरबंद लिफाफे में।

2. निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यालय, निबंधक सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना/संयुक्त निबंधक (पणन), सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना।
3. सभी जिला पदाधिकारी/सभी प्रमंडलीय संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ/सभी जिला सहकारिता पदाधिकारी, बिहार/सभी प्रबंध निदेशक, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य सहकारी बैंक लि०, पटना।
4. सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना/सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/उप सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–3, सहकारिता विभाग/विपत्र शाखा, कार्यालय निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना (दो प्रतियों में)।
5. माननीय मंत्री, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव।

25/06/2026

सरकार के संयुक्त सचिव।

25/06/26